

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-730/1/सा.प्र.वि./विविध/2025/478

भिलाई, दिनांक 26/3/25

//आदेश//

श्री तेजस्व गुप्ता, स्वच्छता पर्यवेक्षक को सीधी भर्ती के तहत छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तों) नियम 2018 के नियम 10 (1) तथा छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 29.07.2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अनुसार नियम 8 के उपनियम (1) में किये गये संशोधन अनुसार तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में दिनांक 17.11.2020 से अनुकम्पा नियुक्ति किया गया है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1656 दिनांक 27.02.2024 के अनुसार परीक्षा अवधि एक वर्ष बढ़ायी गई है उनके द्वारा दिनांक 17.11.2024 को निर्धारित परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली गई है। अतः दिनांक 17.11.2024 से श्री तेजस्व गुप्ता, स्वच्छता पर्यवेक्षक को नगर पालिक निगम, भिलाई की सेवा में स्थायीकरण किया जाता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-730/1/सा.प्र.वि./विविध/2025/479

भिलाई, दिनांक 26/3/25

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, दुर्ग (छ.ग.)।
7. सहायक कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
10. श्री तेजस्व गुप्ता, स्वच्छता पर्यवेक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई